



श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि महाविद्यालय

(श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय)

जोबनेर, जिला जयपुर (राज.) 303329

नं. 01425-254022 (का.), ई-मेल: dean.skncoa@sknau.ac.in

वेबसाइट: <https://skncoa.sknau.ac.in>



डॉ. डी. के. गोठवाल

अधिष्ठाता एवं संकाय अध्यक्ष (कृषि)

क्रमांक: एफ.()/केन्द्रीय भण्डार/श्रीकनकृमवि/2026/3615

दिनांक: 07.03.2026

M/s PRIYA ENTERPRISES

Near nagarpalika park,

Mohalla Buchaheda, Kotputli,

Jaipur, Rajasthan-303108

Email: enterprisespriya702@gmail.com

कार्य आदेश

विषय: 2 Seater Student Bench की आपूर्ति बाबत

संदर्भ: खुली-निविदा क्रमांक एफ () सीएस/श्रीकनकृमवि/2026/2948 दिनांक 23-02-2026

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं संदर्भित पत्र के क्रम में लेख है कि आपकी फर्म की 2 Seater Student Bench की आपूर्ति की दरें कम पाई जाने एवं खुली-निविदा हेतु गठित उपापन समिति की सिफारिश एवं अधिष्ठाता द्वारा दर अनुमोदन उपरांत आपको निम्नानुसार दरों पर श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि महाविद्यालय, जोबनेर में महाविद्यालय खुली-निविदा की शर्तों के अनुसार 2 Seater Student Bench की श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि महाविद्यालय, जोबनेर में आपूर्ति एवं संस्थापन (Installation) का कार्यादेश दिया जाता है:-

S. No.	Name of item with details	Make/ Model	Qty.	Approved rate per unit (Rs.) with GST	Total Amount
01	2 Seater Student Bench	Sunrise	100 Nos.	4423.00/-	442300.00
Grand Total					442300.00

1. खुली-निविदा की सभी शर्तों के साथ RTPP अधिनियम 2012 एवं RTPP नियम 2013 पूर्ण रूप से लागू होकर खुली-निविदा के अनुसार RTPP नियम 2013 का नियम 29 (ज) आप पर पूर्णतया प्रभावी रहेगा। महाविद्यालय में सामग्री आपूर्ति का कोई अतिरिक्त शुल्क देय नहीं होगा।
2. फर्म को निर्देश दिया जाता है कि वह 2 प्रतिशत जमा धरोहर राशि को समायोजित करते हुए कुल 5 प्रतिशत परफॉर्मेंस सिक्योरिटी के तौर पर अधिष्ठाता, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि महाविद्यालय, जोबनेर के नाम पर 25,000 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट जमा करें साथ ही 500.00 रुपये के नॉन-ज्यूडिशियल स्टाम्प पर एक एग्रीमेंट दिनांक 09.03.2026 तक अनिवार्य रूप से जमा करना होगा। सभी नियम व शर्तें खुली-निविदा के अनुसार होंगी।

1.	माल की आपूर्ति का कार्य	कार्य आदेश की दिनांक से 15 दिवस में
2.	बिल:	अधिष्ठाता, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि महाविद्यालय, जोबनेर के नाम से

शास्ति: विलंब से आपूर्ति पर निम्न प्रकार से शास्ति वसूली जायेगी:

Penalty: Penalty will be collected on late supply in the following manner:

अ.	निर्धारित अवधि से 1/4 अवधि विलम्ब पर Delay up to one-fourth period of the prescribed Delivery Period	2.5%
ब.	1/4 अवधि से अधिक आधी अवधि तक विलम्ब पर Delay exceeding one fourth but not exceeding half of the prescribe Delivery Period	05%
स.	1/2 अवधि से अधिक तीन चौथाई तक अवधि तक विलम्ब पर Delay exceeding half but not exceeding three-fourth of the prescribe Delivery Period	7.5%
द.	3/4 अवधि से अधिक विलम्ब होने पर Delay exceeding three-fourth of the prescribed period	10%

अधिष्ठाता एवं संकाय अध्यक्ष

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेशित :-

1. श्रीमान वित्त नियंत्रक, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर।
2. श्रीमान कोषाधिकारी, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर।
3. निविदा समिति, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि महाविद्यालय, जोबनेर।
4. श्रीमान आहरण एवं वितरण अधिकारी/ अनुभाग अधिकारी, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि महाविद्यालय, जोबनेर।
5. रक्षित पत्रावली

प्रभारी, केन्द्रीय भण्डार